रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 257] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 30, 1993/श्रावण 8, 1915
No. 257] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 30, 1993/SRAVANA 8, 1915

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1993

सा.का.नि. 526 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्य क्षेत्र (विधि) अधिनियम 1950 (1950 का 30) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम 40) इस अधिसूचना की तारीख को जैसा वह हरियाणा राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. इस अधिनियम में सर्वत्र,

(क) "सरकार" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है "प्रशासक" शब्द रखा जाएगा और किसी भी वाक्य में, जिसमें वह शब्द आता है, ऐसे परिवर्तन भी किए जाएंगे, जिनकी व्याकरण के नियम अपेक्षा करते हैं;

(ख) "इस अधिनियम" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "यह अधिनियम, जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है", शब्द रखे जाएंगे;

2. धारा 1 में,—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार संपूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर है।"

3. धारा 2 में, खण्ड (ख) का लोप किया जाएगा और खण्ड (क) को खण्ड (ख) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जाएगा और खण्ड (ख) को इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किए जाने के पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क)" प्रशासक से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है।"

उपाबन्ध

(1974 का हरियाणा अधिनियम सं. 40)

हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974
हरियाणा राज्य में आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रसार : (1) यह अधिनियम हरियाणा आवश्यक सेवा-अनुरक्षण अधिनियम, 1974, कहा जा सकता है, जैसा इसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में है।

2. परिभाषाएं :—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर यथा विस्तारित इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "नियोजन" के अन्तर्गत है, किसी भी स्वरूप का नियोजन; चाहे उसके लिए संदाय किया जाता है या नहीं ;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, हरियाणा राज्य की सरकार;

(ग) "विहित" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(घ) "हड़ताल" से अभिप्राय है; किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में, जिसे यह अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है को लागू होता है, नियोजित व्यक्तियों के निकाय द्वारा मिलकर काम बन्द कर दिया जाना, या, कितने ही ऐसे व्यक्तियों का भी इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना, और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सामूहिक आकस्मिक अवकाश भी ऐसे व्यक्तियों के बीच सामान्य मति के अनुसरण में लिया जाये, जो ऐसे अवकाश अपने आप या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के निदेश के अधीन लेते हैं;

(2) अतिकालिक काम करने से इन्कार करना जो किसी नियोजन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है जिसे यह अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है को लागू होता है; या

(3) कोई अन्य आचरण जिससे किसी ऐसे नियोजन में जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कार्य बन्द या पर्याप्त रूप से मंद हो जाता हो या ऐसा होने की संभावना हो।

3. नियोजन, जिसको यह अधिनियम लागू होता है : —यह अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है निम्नलिखित को लागू होगा :—

(1) सरकार के अधीन सभी नियोजन;

(2) कोई ऐसा अन्य नियोजन या नियोजन-वर्ग, जिसे सरकार, इस राय का होने पर कि ऐसा नियोजन या नियोजन-वर्ग, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या स्वच्छता को बनाए रखने, या समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक प्रदाय अथवा सेवाओं को बनाए रखने के लिये आवश्यक है, अधिसूचना द्वारा घोषित करे।

4. किसी नियोजन में लगे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट विशेष क्षेत्रों में बने रहने का आदेश देने की शक्ति :—(1) सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी ऐसे नियोजन या नियोजन-वर्ग के संबंध में, जिसको धारा 3 लागू होती है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश कर सकता है कि ऐसे नियोजन में लगा ऐसा व्यक्ति या व्यक्तिगत किसी ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों से बाहर नहीं जाएंगे, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश, ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा, जिसे प्रशासक या आदेश करने वाला अधिकारी, उस आदेश से प्रभावित व्यक्तियों का ध्यान उसकी ओर दिलाने के लिए उचित समझता है।

4. क. हड़ताल प्रतिषिद्ध करने की शक्ति :—(1) यदि सरकार की संतुष्टि हो जाये कि लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी नियोजन या नियोजन वर्ग में, जिसे अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है को लागू होता है;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया कोई आदेश ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाएगा जिसे सरकार आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के नोटिस में लाने के लिए पर्याप्त समझे और यह छह मास की अवधि के लिए लागू रहेगा :

परन्तु यह और कि सरकार इसी प्रकार के आदेश द्वारा इसे छह मास तक की अवधि के लिए बढ़ा सकती है, यदि उसकी संतुष्टि हो जाए कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक या उचित है।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश जारी हो जाने पर:—

(क) किसी नियोजन या नियोजन-वर्ग में जिसे यह अधिनियम लागू होता है या जिससे यह आदेश संबंधित है, नियोजित कोई भी व्यक्ति हड़ताल पर नहीं जाएगा या हड़ताल पर नहीं रहेगा; और

(ख) आदेश जारी किये जाने से पूर्व या बाद ऐसे किसी नियोजन में नियोजित व्यक्ति द्वारा घोषित या आरम्भ की गई कोई भी हड़ताल अवैध होगी।

5. अपराध :—(1) किसी ऐसे नियोजन या नियोजन के वर्ग में, जिसको यह अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर विस्तार किया गया है, को लागू होता है, लगा कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो :—

(क) ऐसे नियोजन के दौरान उसे दिये गये किसी विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करता है;

(ख) युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसे नियोजन को छोड़ देता है या कार्य से अनुपस्थित रहता है;

(ग) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र से, आदेश करने वाले प्राधिकारी की सम्मति के बाहर चला जाता है, इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

स्पष्टीकरण :—यह बात कि किसी व्यक्ति को यह आशंका है कि उसके नियोजन में बने रहने से उसे भारी शारीरिक खतरा हो सकता है, खण्ड (ख) के अर्थांतर्गत युक्तियुक्त प्रतिहेतु नहीं है।

स्पष्टीकरण :—जो व्यक्ति, इस बात के होते हुए भी कि उसकी नियोजन संविदा का यह अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधन है कि वह अपने नियोजक को अपना नियोजन समाप्त करने के आशय का नोटिस देकर अपना नियोजन समाप्त करा सकता है; अपने नियोजक की पूर्व सम्मति के बिना अपना नियोजन छोड़ देता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने खण्ड (ख) के अर्थान्तर्गत अपना नियोजन छोड़ दिया है।

(घ) किसी ऐसी हड़ताल में जो अवैध घोषित की गई है, स्वयंमेव भाग लेता है या उन व्यक्तियों को भाग लेने के लिए उकसाता या भड़काता है, या अन्यथा इसे अग्रसर करने में कार्य करता है; या

(ङ) किसी अवैध हड़ताल को अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानबूझकर धन व्यय करता है या धन प्रदान करता है।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो किसी ऐसे नियोजन या नियोजन वर्ग में लगा है, जिसे धारा 3 के अधीन ऐसा नियोजन घोषित किया गया है, जिसे यह अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है, को लागू होता है, नियोजक, जो बिना युक्तियुक्त हेतुक के :—

(क) एसे व्यक्ति का नियोजन समाप्त कर देता है, या

(ख) ऐसा स्थापन बन्द करके, जिसमें ऐसा व्यक्ति लगा है, उसके नियोजन की समाप्ति कारित करता है,

इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है को के अधीन, अपराध का दोषी होगा।

6. मजदूरी का विनियमन और सेवा की शर्तें :—(1) सरकार धारा 3 के अधीन घोषित नियोजन या नियोजन वर्ग में, व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग की मजदूरी तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करने वाले नियम या उनका विनियमन करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को सशक्त बनाने वाले नियम बना सकती है।

(2) जब ऐसे कोई नियम बना दिये गये हों या जब मजदूरी या सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कोई निदेश ऐसे नियमों द्वारा ऐसे निदेश देने के लिये सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा दिये गये हों, तो उन निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहने वाला व्यक्ति इस अधिनियम जैसी उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन अपराध का दोषी होगा।

7. शास्तियां और प्रक्रिया :—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये दोषी पाया गया कोई व्यक्ति दोष सिद्धि पर, ऐसी विधि के कारावास से दंडनीय होगा, जो तीन वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) जहां इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन कोई भी अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है, वहां प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का भारसाधक है अथवा कम्पनी के कारबार के संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी है, अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने, और तदनुसार दंडित किये जाने के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के दायित्वाधीन नहीं बनाएगी यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे अपराध के निवारण के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है और यह सिद्ध कर दिया जाता है कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से कराया गया है और अपराध उक्त अधिकारियों की उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और उसे तदनुसार दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "कम्पनी" से अभिप्रेत है, कोई निगमित निकाय और इसके अंतर्गत है कोई फार्म या अन्य व्यष्टि-संगम, और

(ख) "निदेशक" से, किसी फर्म के संबंध में अभिप्रेत है, फर्म का कोई भागीदार।

(4) इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 269 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संक्षिप्त रीति में विचारण के लिये तत्समय सशक्त कोई मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटपीठ, यदि उचित समझता है, तो परिवादी द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जाने पर इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन किसी अपराध का विचारण उक्त संहिता की धारा 262 से 265 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कर सकता है।

8. परित्राण :—1. इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हो सकेगी।

9. इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों तथा बनाए गए नियमों आदि का अध्यारोही प्रभाव :—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम जैसा उसका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र पर विस्तार किया गया है के अधीन की गई किसी घोषणा या आदेश का अथवा बनाए गए किसी नियम या विनियम का और दिए गए निदेश का प्रभाव अध्यारोही होगा।

[फा. सं. वी. 11015/4/92-यू. टी. एल.]

एम. एल. मेहता, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 1993

G.S.R. 526(E).—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Union Territories (Laws) Act, 1950 (30 of 1950), the Central Government hereby extends to the National Capital Territory of Delhi, the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974 (Haryana Act 40 of 1974), as in force in the State of Haryana, at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATION

1. Through-out the Act,

(a) for the word "Government", wherever it occurs, the word "Administrator" shall be substituted and there shall also be made in any sentence in which that word occurs such changes as the rules of grammar require;

(b) for the words "this Act" wherever they occur, the words "this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi" shall be substituted.

2. In section 1,—

(a) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi".

3. In section 2, clause (b) shall be omitted and clause (a) shall be relettered as clause (b), and before the clause (b) as so relettered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(a) "Administrator" means the Administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution."

ANNEXURE

THE HARYANA ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ACT, 1974

(Haryana Act No. 40 of 1974)

As extended to the National Capital Territory of Delhi

AN

ACT

to provide for the maintenance of essential services in the State of Haryana and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Twenty-fifth year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and extent.—(1) This Act may be called the Haryana Essential Services Maintenance Act, 1974, as extended to the National Capital Territory of Delhi.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

2. In this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi, unless the context otherwise requires :—

(a) "Administrator" means the Administrator of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 of the Constitution;

(b) "employment" includes employment of any nature whether paid or unpaid;

(c) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi;

(d) "strike" means the cessation of work by a body of persons employed in any employment or class of employment to which this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi applies acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons, who are or have been so employed to continue to work or to accept employment, and includes—

(i) mass casual leave in pursuance of a common understanding among the persons who avail themselves of such leave, or under the direction of any other person or persons;

(ii) refusal to work overtime where such work is necessary for the maintenance of work in any employment to which this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi applies; or

(iii) any other conduct which is likely to result in, or results in, cessation or substantial retardation of work in any employment to which this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi applies.

3. Employment to which Act applies.—This Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi, shall apply—

(i) to all employment under the Administrator,

(ii) to any other employment or class of employment which the Adminisrator being of the opinion that such employment or class of employment is essential for securing the public safety, the maintenance of public order, health or sanitation, or for maintaining supplies or services necessary for life of the community, may, by notification, declare.

4. Power to order persons engaged in certain employment to remain in specified areas.—(1) The Administrator or an Officer authorised by him in this behalf may, in respect of any employment or class of employment to which section 3 applies, by general or special order, direct that any person or persons engaged in such employment shall not depart out of such area or areas as may be specified in such order.

(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the Administrator or the officer making the order considers fit to bring it to the notice of the persons affected thereby.

4A. Power to prohibit strike.—(1) If the Administrator is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do, he may, by general or special order, prohibit strikes in any employment or class of employment to which this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi applies.

(2) An order made under sub-section (1) shall be published in such manner as the Administrator considers sufficient to bring it to the notice of the persons affected by the order and shall remain in force for a period of six months:

Provided that the Administrator may, by a like order, extend it for any period not exceeding six months, if he is satisfied that in the public interest it is necessary or expedient so to do.

(3) Upon the issue of the order under sub-section (1),—

(a) no person employed in any employment or class of employment to which this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi, applies and to whom the order relates shall go, or remain on strike; and

(b) any strike declared or commenced, whether before or after the issue of the order, by persons employed in any such employment, shall be illegal.

5. Offences.—(1) Any person engaged in any employment or class of employment to which this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi applies, who—

(a) disobeys any lawful order given to him in the course of such employment;

(b) without reasonable excuse abandons such employment or absents himself from work;

(c) departs from any area specified in an order made under sub-section (1) of section 4 without the consent of the authority making the order;

(d) himself takes part in, instigates, or incites other persons to take part in, or otherwise acts in furtherance of, any illegal strike; or

(e) knowingly expends or supplies any money in furtherance or support of any illegal strike;

shall be guilty of an offence under this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi.

Explanation 1.—The fact that a person apprehends that by continuing in his employment he will be exposed to increased physical danger is not a reasonable excuse within the meaning of clause (b).

Explanation 2.—A person abandons his employment within the meaning of clause (b) who, notwithstanding that it is an express or implied term of his contract of employment that he may get his employment terminated on giving notice to his employer of his intention to do so, abandons his employment without the previous consent of his employer.

(2) Any employer of a person engaged in an employment or class of employment declared under section 3 to be an employment to which this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi, applies, who without reasonable cause—

(a) discontinues the employment of such person; or

(b) by closing an establishment in which such person is engaged causes the discontinuance of his employment;

shall be guilty of an offence under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi.

6. Regulation of wages and conditions of service.—(1) The Administrator may make rules regulating or empowering a specified authority to regulate wages and other conditions of service of persons or any class of persons engaged in any employment or class of employment declared as such under section 3.

(2) When any such rules have been made or when any directions regulating wages or conditions of service have been given by an authority empowered by such rules to give such directions, any persons failing to comply with them shall be guilty of an offence under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi.

7. Penalties and Procedure.—(1) Any person found guilty of an offence under this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi, shall on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extended to three years and shall also be liable to fine.

(2) Where an offence under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi has been committed by a company, every person incharge of, or responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, a director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

4. The offences under this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi, shall be cognizable and non-bailable.

(5) Any magistrate or bench of magistrates empowered for the time being to try in a summary manner the offences specified in sub-section (1) of section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, may, if such magistrate or bench of magistrates think (s) fit, on an application made, in this behalf, by the complainant, try any offence under this Act, as extended to the National Capital Territory of Delhi in accordance with the provisions contained in section 262 to 265 of the said Code.

8. Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi or the rules made thereunder.

9. Overriding effect of orders, rules, etc. made under the Act.—Any declaration, order, rule or regulation made and any direction given under this Act as extended to the National Capital Territory of Delhi shall have effect notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force.

[F. No. U-11015|4|92-UTL(180)]
M. L. MEHTA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993